

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 10, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

शुद्धि पत्र

क्र. 84 (13)-वि.निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-320.—मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र क्रमांक 466, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित 179-नेपानगर (अ. ज. जा.) विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य का नाम “श्रीमती मंजू राजेन्द्र दादु” के स्थान पर “कुमारी मंजू राजेन्द्र दादु” पढ़ा जाए.

एस. एस. बंसल, सचिव.

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.

..... X. (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के X. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन.

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से 179-नेपानगर (अ. ज. जा.) (राज्य) मध्यप्रदेश की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन.

..... महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन.

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :—

“कु. मंजू राजेन्द्र दादु” (नाम)

20, कानापुर, पोस्ट मांजरोद कला, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर (पता) [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े की गई है.]

उस सदन में,

श्री/श्रीमती X. के पदत्याग के कारण

श्री राजेन्द्र दादु आत्मज श्री श्यामलाल दादु मृत्यु के कारण.

श्री/श्रीमती X. का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिये जाने के कारण.

श्री राजेन्द्र दादु आत्मज श्री श्यामलाल दादु का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है.

स्थान : बुरहानपुर

तारीख : 22 नवम्बर 2016

हस्ता./-

(अनिल सपकाले)

रिटर्निंग आफिसर,

179-नेपानगर (अजजा) विधान सभा क्षेत्र
जिला बुरहानपुर.